

राज्यपाल कार्यालय, दरभंगा  
6221  
28/6/14  
विभागीय कार्यालय  
दरभंगा

संख्या-3/एफ-01-04/2008-5059 /वि०, दिनांक:-16/06/2014

बिहार सरकार  
वित्त विभाग ।

अधिसूचना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्द्वारा बिहार सेवा संहिता 1952 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित बिहार सेवा (संशोधन) संहिता, 2014 बनाते हैं:-

बिहार सेवा (संशोधन) संहिता, 2014

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:-

- (i) यह बिहार सेवा (संशोधन) संहिता, 2014 कही जा सकेगी ।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
- (iii) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी ।

2. बिहार सेवा संहिता के नियम 220 की उप नियम (ख) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

“(ख) दो से कम जीवित संतान वाली महिला सरकारी सेवक को छुट्टी प्रारम्भ की तिथि से 135 दिनों की अवधि के लिए प्रसव छुट्टी दी जा सकेगी:

परंतु यह वैसी महिला सरकारी सेवक के संबंध में भी लागू होगा जो पहले ही प्रसव छुट्टी पर जा चुकी हैं और उसकी प्रसव छुट्टी समाप्त नहीं हुयी है ।”

3. निरसन एवं व्यावृत्ति । - (i) वित्त विभागीय संकल्प सं०-2498 दिनांक: 12.04.2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(ii) ऐसे संशोधन के होते हुए भी, संकल्प सं०-2498 द्वारा दिनांक: 12.04.2007 के अधीन मंजूर प्रसव छुट्टी इस संहिता के अधीन मंजूर की गयी समझी जायेगी मानों यह संहिता उस दिन प्रवर्तन में थी जिस दिन छुट्टी मंजूर की गयी थी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(प्रभात शंकर)

अपर सचिव

जयहिन्द  
कार्यवाही में  
तदनुसार कार्यवाही  
1596  
28/6/14



ज्ञापांक-3/एफ-01-04/2008-5059/वि0

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल  
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

पटना, दिनांक:-16/06/2014

पथ, पटना को सूचनार्थ एवं

ह0/-

(प्रभात शंकर)

अपर सचिव

ज्ञापांक-3/एफ-01-04/2008-5059/वि0

प्रतिलिपि:-सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/महानिबंधक, उच्च न्यायालय,  
पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, विधान परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

पटना, दिनांक:-16/06/2014

ह0/-

(प्रभात शंकर)

अपर सचिव

ज्ञापांक-3/एफ-01-04/2008-5059/वि0

प्रतिलिपि:-सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्ता/सभी उप विकास आयुक्त एवं  
सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

पटना, दिनांक:-16/06/2014

16.6.14

(प्रभात शंकर)

अपर सचिव

प्रतिलिपि:- ज्ञापांक - 890/ला० एवं दि० - 11/07/2014  
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिष्ठाता  
दरभंगा जिला।

प्रतिलिपि:- सभी भूमि सुधारा उप समिती/अनुमंडल पदा  
दरभंगा जिला।

प्रतिलिपि:- मुख्यालय स्थित सभी विकास एवं अभ्यन्त पदा  
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- जिला आई० टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं सभी  
संबन्धित को ई० मेल के माध्यम से भर्जन तथा  
जिला के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

स्थापना उप समिती

दरभंगा

9-7-14